



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26454-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1077 वर्ष 2026

राजबीर और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ओंकार नाथ

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार जायसवाल, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि वे इस याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
2. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

6 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"